संख्या: 23 /X-4-17/1(353)/2015

प्रेषक,

मीनाक्षी जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तातरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4

देहरादून: दिनांक: 06 ~~जनवरी~~ मार्च, 2017

विषय:– जनपद–टिहरी में 400 के0वी0 एकल सर्कीट क्वाड टिहरी–कोटेश्वर–।।। पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 4.8 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु पावर ग्रिड कॉरपरेशन ऑफ इण्डिया लि0 कोटेश्वर को 35 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1099/एफपी/यूके/ट्रांस/7592/2014 दिनांक 30 सितम्बर, 2016, के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के आदेश संख्या–598/एक्स–4–15/1 (353)/2015 दिनांक 27.07.2016 द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो के पूर्ण अनुपालन होने के दृष्टिगत श्री राज्यपाल **जनपद–टिहरी में 400 के0वी0 एकल सर्कीट क्वाड टिहरी–कोटेश्वर–।।। पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 4.8 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु पावर ग्रिड कॉरपरेशन ऑफ इण्डिया लि0 कोटेश्वर को 35 वर्षों** की लीज पर दिये जाने की **विधिवत स्वीकृति** निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:–

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 9.6 है0 ग्राम–डोबरा सिविल सोयम भूमि में वन संरक्षण अधिनियम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों 3.2(I) एवं 4.2 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक उसका रख–रखाव किया जायेगा।
3. वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन की गयी उक्त भूमि को छः माह के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा यथोचित प्रस्ताव वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। संरक्षित वन घोषित किये जाने की अधिसूचना की प्रति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0आई0, देहरादून एवं नोडल अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
4. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति पहुँचाई जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
6. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
7. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
8. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
9. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थनों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक उसका रख–रखाव किया जायेगा।
10. मा0 उच्चतम् न्यायालय/भारत सरकार द्वारा यदि भविष्य में एन0पी0वी0 की वर्तमान दरें में वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय किया जायेगा व देय धनराशि को (ad-hoc CAMPA) कोष को स्थानान्तरित किया जायेगा।
11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना का निर्माण एवं तदोपरान्त रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत् मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।
14. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
15. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस–पास की वन भूमि से सड़क निर्माण के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।

16. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर मक डिस्पोजल का कार्य प्रस्तुत की गयी योजना के अनुसार वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उत्सर्जित मलवे का निस्तारण चिन्हित स्थलों पर ही किया जायेगा उत्सर्जित मलवे को किसी भी दशा में पहाड़ों के ढलान से नीचे/नदी में निस्तारित नहीं किया जायेगा।
17. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा एवं आवश्यक न्यूनतम् वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।
18. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्तों एवं अन्य सामान्य शर्तों को सम्मिलित करते हुए एक पट्टा विलेख का आलेख्य प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे शासकीय हस्तान्तरक से विधीक्षित करवाया जायेगा। ऐसे पट्टा विलेख के विधीक्षण हेतु न्याय (कन्वेयसिंग) कोष्ठक के शासनादेश संख्या 198/7–जी–सी–89–3–89, दिनांक 19.06.1989 के अनुसार निर्धारित विधीक्षण शुल्क विलेख विधीक्षण से पूर्व लेखाशीर्षक–0070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–01–न्याय प्रशासन–501–सेवायें और सेवा फीस–01–की गयी सेवाओं के लिए भुगतान की उगाही के अन्तर्गत ट्रेजरी में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टा विलेख के आलेख्य के साथ उपलब्ध करायी जायेगी। उपरोक्तानुसार प्रस्तुत पट्टा विलेख शासन द्वारा विधीक्षित किये जाने के उपरान्त ही निष्पादित किया जायेगा।
19. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का **RCC Pillars** लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर **Forward** तथा **Back bearing** अंकित किया जाय।
20. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा ।
21. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत जारी हैन्ड बुक के Annexure-V में दिये गये मार्गदर्शी नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।
22. वन भूमि का जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज अवधि/99 रूपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं प्रीमियम धनराशि का एक प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट लिया जायेगा।

    वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम)=जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्य x $\frac{\text{लीज अवधि}}{99}$

23. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय
(मीनाक्षी जोशी)
अपर सचिव।

संख्या: 23 (1)/X-4–17/1(363)/2015, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, ऊर्जा विभाग उत्तराखण्ड शासन।
4. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त मुनीकीरेती।
5. जिलाधिकारी, टिहरी।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग टिहरी।
7. उप प्रबन्धक, पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 ग्राम फाफरन पोखरी, टिहरी गढ़वाल।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर,देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन0आई0सी0 की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(आर0के0 तोमर
संयुक्त सचिव।